

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- (1) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
- (2) महाप्रबन्धक,
झॉंसी डिवीजन, जल संस्थान, झॉंसी।
- (3) महाप्रबन्धक,
चित्रकूट धाम मण्डल, जल संस्थान, बाँदा।

पत्रांक: 492/कार्य0/पेयजल/अनुरक्षण/2010-11

दिनांक 18 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना अनुदान संख्या-83(अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0-425/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010टीसी (ग्रा0वि0अनु0-5), दिनांक 12-5-2010 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु रू0 22,50,00,000/- (रूपया बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने एवं कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु मात्राकृत धनराशि रू0 2,25,00,000/- (रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार आवंटित की जाती है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	रकम (रूपये में)
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	रू0 1,46,25,000/-
2	जल संस्थान झॉंसी मण्डल, झॉंसी	रू0 39,37,500/-
3	जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा	रू0 39,37,500/-
योग:-		रू0 2,25,00,000/-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय ऐसी योजनाओं पर कदापि न किया जाय जिनके अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है।
- 2- धनराशि के व्यय करते समय योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों /शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलापूर्ति-789अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-181 पर कर ली गई है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: 492/कार्य0/पेयजल/2010-11 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मण्डलायुक्त, लखनऊ, झॉंसी, एवं चित्रकूट धाम मण्डल बादा।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, झॉंसी एवं बादा।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 6- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
- 8- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण को शासनादेश संख्या-425/26-ब0प्र0-2010-2बजट /2010टीसी (ग्रा0वि0अनु0-5) दिनांक 12.05.2010 के संदर्भ में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री
अपर आयुक्त, (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0